

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये

मध्यप्रदेश

क्रमांक-3/प.क./एफ.पी.आई.एस/सेल-4/2016/50

भोपाल, दिनांक 15-01-16


प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक म.प्र.।
समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी-2 म.प्र.।
समस्त सहायक सांख्यिकीय अधिकारी म.प्र.।
समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी म.प्र.।

विषय :- फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम के अंतर्गत दावा प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण।

विषयान्तर्गत प्रकरण में लेख है कि फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम के अंतर्गत दावा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार जिला क्वालिटी एंशोरेंस कमेटी/सब कमेटी को जिला स्तर से प्रकरणों को अमान्य किये जाने के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं। राज्य क्वालिटी एंशोरेंस कमेटी को केवल मान्य प्रकरण, जिला क्वालिटी एंशोरेंस कमेटी के पूर्ण परीक्षण उपरान्त एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें।

समस्त प्रकरणों के परीक्षण का पूर्ण विवरण जिला क्वालिटी एंशोरेंस कमेटी द्वारा भारत सरकार के 10 फार्मेट एवं परिवार कल्याण के सॉफ्टवेयर में राज्य क्वालिटी एंशोरेंस कमेटी को प्रस्तुत किये जाये।



संचालक

(परिवार कल्याण)

मध्यप्रदेश

क्रमांक-3/प.क./एफ.पी.आई.एस/सेल-4/2016/

भोपाल, दिनांक

- प्रतिलिपि:- 1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।

संचालक

(परिवार कल्याण)

मध्यप्रदेश